

फर्द अहकाम
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

वेगराज




बनाम

हरलाल

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट.

नम्बर 204

सन-2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिपियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम का तामील में जारी हुए
07.09.2022	<p>वकील सायल ने यह प्रार्थना -पत्र सायल की ओर से पेश किया प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील सायल को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया प्रकरण, सूविधा का सन्तुलन , अपूर्णीय क्षति का बिन्दु सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः प्रस्तुत दस्तावेज एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए गैरसायल /अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि रोही मौजा गंगोई के खाता संख्या 93/85 की कुल 13.9610हैक् व रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 214/58 की कुल 3.0360हैक् भूमि में से प्रार्थी के हक हिस्सा की भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाई रखी जावे अस्थायी निषेधाज्ञा बढ़ाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा एवं यह स्थगन आदेश खाला एवं रास्ता की भूमि पर लागू नहीं होगा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक 27.10.2022 को पेश हो।</p> <p align="right">  सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर </p> <p> ¹⁰ ²⁷/₂₂ पत्रावली पेश हुई श्रीगुरुजी, जो. साहब एच.एस.डी.ओ. नोहर की ओर से रजिस्टर्ड सम्मन पेश। पत्रावली दि. 13/09/22 को पेश हो। </p> <p> ⁰¹ ¹⁷/₂₃ सामल पत्र अर्पित। सामल की ओर से जरिये वकील शर्मा को पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली मेरी के भी गई। सामल ने शर्मा पत्र में निवेदन किया कि शर्मा पत्र के सामल का गैरतामिलता का सतीनाका से युक्त है जिसकादल सामल उक्त अतगनी प्रवर्ति पत्र के अगले कोई बर्षनाही नरी रत्न चाहता है। अतगनी शर्मा पत्र प्रकारज फामोवे। एतने पत्रावली का अन्तर्गत किया। सामल हिरे में शर्मा पत्र सामल लीकर दिया जाता है। अतः सामल का गैर तागनाका का सतीनाका एतने से कारण शर्मा पत्र प्रकारज दिया जाता है। पत्रावली तरह के कम लेबर शामिल इफतर हो। </p>	<p align="right">  वेगराज  सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर 11/11/22 </p>